न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या –855/2022
अनवान : –

1. श्रवण कुमार पुत्र बालूराम जाति गुड़ा निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम्

1. अशोक कुमार पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर
2. शान्ति देवी पत्नि नौरगराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर
3. चुन्नीराम पुत्र कनीराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर
4. ओमप्रकाश पुत्र आशाराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर
5. अमित कुमार पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
6. भजनलाल पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
7. राजीव सर्वा पुत्र सुभाष सर्वा जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
8. रिनू देवी पत्नि बृजलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

–असल प्रतिवादीगण

10. बृजलाल पुत्र बालूराम जाति गुरड़ा निवासी नोहर तहसील नोहर
11. मानीराम पुत्र बालूराम जाति गुरड़ा निवासी नोहर तहसील नोहर
12. सुभाष पुत्र बालूराम जाति गुरड़ा निवासी नोहर तहसील नोहर
13. चेतराम उर्फ चोतराम पुत्र बालूराम जाति गुरड़ा निवासी नोहर तहसील नोहर

–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 188 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 27/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के [illegible] के ख0न. 292/46 की 0.4420 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 10 ता [illegible]तरका खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:19:45 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नौहर के खाता सं. 182/4 के ख.न. 46/6 की 0.0480 हेक्टर भूमि ख.न. 46/7 की 0.0630 हैक्टर कुल 0.1110 हेक्टर भूमि के प्रतिवादी सं. । अकेला खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 178/169 के ख.न. 46/4 की 0.2050 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 2 खातेदार काश्तकार है। एवं कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 47/41 के ख.न. 293/46 की 0. 6110 हेक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 3 खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 10/12 के ख.न. 46/1 की 0.0180 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी सं. 4 खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं 3/133 के ख.न. 296/46 की 1.2230 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 5 अकेला 407/2446 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 अकेला 310/1223 हिस्सा प्रतिवादी सं. 7 अकेला 506/1223 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 अकेली 407/2446 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगा सं. 10 ता 14 की रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 117/107 के ख.न. 292/46 की 0. 4420 हैक्टर भूमि में काबिज है तथा वर्तमान में वादगस्त भूमि शहर के नजदीक होने के कारण प्रतिवादीगण प्लाट काट रहे है तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की ख.न. 292/46 की 0.4420 हैक्टर भूमि पर काबिज होना चाहते है तथा अपनी कृषि भूमि दिखाकर प्लाट काटने की फिराक में काबिज होना चाहते है एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 292/46 की 0.4420 हैक्टर भूमि की जब तक पैमाईश ना हो वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 10 ता 14 के कब्जा में काबिज न हो जाये तब तक प्रतिवादीगण मदाखलत बैजा न करे यही बिनाय अर्जीदावा है। उक्त भूमि शहर के चिपती हुई भूमि है तथा बादी के द्वारा तहसीलदार को पैमाईश हेतु काफी प्रार्थना पत्र पेश किये थे परन्तु वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 10 ता 14 के नाम दर्ज भूमि की पैमाईश करके कब्जा एवं कृषि भूमि नही बतलाई जा रही है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 अपनी खतोदारी भूमि से अधिक भूमि पर काबिज है तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 10 ता 14 की भूमि पर जबरन काबिज होना चाहते है इसलिए वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं 10 ता 14 की भूमि सुरक्षित रखी जावे तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 को वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 10 ता 14 की भूमि का बैचान न करे। स्थाई निषेधाज्ञा इस आशयों की जो कि ख.न. 292/46 की 0.4420 हैक्टर भूमि में कब्ज करने से निषिद्ध रहे। जब तक पैमाईश न हो जाये तब तक ख. न. 46/6 व 46/78 व 46/4, 292/46 की भूमि रहन / वैय करने से निषिद्ध रहे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

अधिवक्ता वादी के निवेदन पर बहस सुनी गई। हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वर्तमान राजस्व किार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है वादी व प्रतिवादीगण एक दुसरे के पड़ौसी खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:19:45 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जा काश्त में दखल दिया जा रहा है एवं सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा है तथा शहर की चिपती हुई भूमि पर काबिज होना चाहते है। लेकिन वादीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा किया गया हो या सीवं व डोल को मिस्मार किया गया हो वादीगण द्वारा केवल कथन किया गया है एवं कथनों के आधार पर वादीगण अनुतोष पाने की अधिकारी नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:19:45 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या —855 / 2022
अनवान : —

1. श्रवण कुमार पुत्र बालूराम जाति गुड़ा निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

— वादीगण

बनाम्

1. अशोक कुमार पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर
2. शान्ति देवी पत्नि नौरगराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर
3. चुन्नीराम पुत्र कनीराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर
4. ओमप्रकाश पुत्र आशाराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर
5. अमित कुमार पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
6. भजनलाल पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
7. राजीव सर्वा पुत्र सुभाष सर्वा जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
8. रिनू देवी पत्नि बृजलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

—असल प्रतिवादीगण

10. बृजलाल पुत्र बालूराम जाति गुरड़ा निवासी नोहर तहसील नोहर
11. मानीराम पुत्र बालूराम जाति गुरड़ा निवासी नोहर तहसील नोहर
12. सुभाष पुत्र बालूराम जाति गुरड़ा निवासी नोहर तहसील नोहर
13. चेतराम उर्फ चोतराम पुत्र बालूराम जाति गुरड़ा निवासी नोहर तहसील नोहर

—तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 855 सन 2022 निर्णय दिनांक 27/03/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....27/03/26....को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:19:45 IST
Reason: SelfAttested